"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 फरवरी 2012—माघ 19, शक 1933


वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-2/2012/वा.क.(आब.)/पांच (01).—राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य की आबकारी नीति वर्ष 2012-13 (आबकारी पालिसी) संलग्न परिशिष्ट अनुसार लागू करता है.

यह नीति अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जेवियर तिग्गा**, संयुक्त सचिव.

### छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति वर्ष 2012-13

1. **आंशिक मद्य निषेध की नीति एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन :—**

(i) जनप्रतिनिधियों, मीडिया एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरा की अधिक दुकान होने के फलस्वरूप सहज उपलब्धता से नई पीढ़ी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वहीं सड़क दुर्घटनाएं भी घटित हो रही हैं व स्वास्थ्य एवं सामाजिक दृष्टि से भी उचित नहीं है. गत वर्ष शासन द्वारा दो हजार तक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों की 230 मदिरा दुकानों को बंद किया गया था.

(ii) उपरोक्तानुसार गतवर्ष लिये गये निर्णय का अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ है तथा आमजनों में अच्छी प्रतिक्रिया भी हुई है. शासन की आबकारी नीति की सफलता को देखते हुये आगामी वर्ष 2012-13 की आबकारी नीति के तहत 2500 (ढाई हजार) तक की जनसंख्या वाले ग्रामों में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को आपवादिक परिस्थितियों के अतिरिक्त बन्द किया जाना है. जिसमें 2001 से 2500 तक की आबादी में स्थित लगभग 53 देशी एवं 17 विदेशी दुकानें कुल 70 दुकानें बन्द होगी. इसके अतिरिक्त गतवर्ष की तरह ही गौरव ग्रामों में स्थित मदिरा दुकानें भी बंद की जाएगी. जिलेवार ऐसे दुकानों की सूची परिशिष्ट-"एक" एवं गौरव ग्राम में स्थित बंद होने वाली दुकानों की सूची परिशिष्ट-"दो" में दर्शित है.

(iii) आपवादिक परिस्थितियों के अन्तर्गत ऐसे दुकान शामिल होंगे जो 2001 से 2500 कम जनसंख्या के उपरांत भी अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थित होने के कारण अन्य प्रांत से तस्करी रोकने की दृष्टि से अथवा एक बड़े भू-भाग पर दुकान विहीन क्षेत्र की स्थिति निर्मित हो जाने के कारण उन दुकानों को जारी रखा जाना आवश्यक होगा, लेकिन इसकी अनुमति तत्संबंधी परिस्थितियों का उल्लेख सहित कलेक्टर से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दी जावेगी. दुकान विहीन क्षेत्र के रूप में ऐसे दुकान को सम्मिलित किया जावेगा जहां से दुकानों की दूरी 20 कि.मी. से अधिक हो.

2. **सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था वर्ष 2012-13 :—**

(i) वर्तमान में देशी मदिरा की कीमत का भुगतान सफल निविदादाता को शासन द्वारा किये जाने का प्रावधान है. फुटकर अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा प्रदाय दर (Issue Price) एवं कांच की कीमत देशी मदिरा के सफल निविदादाता (देशी मदिरा प्रदायकर्ता) को प्रदाय के समय भुगतान किया जाता है. आगामी वर्ष 2012-13 में फुटकर अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा बोतल 12 नग प्रति पेटी, अद्धा 24 नग प्रति पेटी, पाव 50 नग प्रति पेटी (Box) मदिरा की कीमत देशी मदिरा सफल निविदादाता को भुगतान कर संबंधित भण्डारण भाण्डागार से देशी मदिरा प्रदाय लेगा.

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य में तीन आसवनी है. चूंकि मदिरा दुकानों की संख्या में चरणबद्ध कमी किया जाना है. जिसके फलस्वरूप राज्य में स्थित आसवनी में उत्पादित मदिरा/स्प्रिट के उपभोग में भी कमी आवेगी. अत: राज्य के आसवनी को प्रोत्साहन व संरक्षण की दृष्टि से देशी मदिरा की थोक प्रदाय एवं दरों का निर्धारण संबंधी टेण्डर में केवल छत्तीसगढ़ राज्य के आसवक ही नवीन व्यवस्था में टेण्डर देने के लिए पात्र होंगे.

(iii) सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय राज्य के प्रदाय क्षेत्रों का आवंटन आसवनियों के लायसेंसधारियों से टेण्डर प्राप्त कर न्यूनतम दर के आधार पर लिया जावेगा. यदि कोई आपूर्तिकर्ता देशी मदिरा की आपूर्ति करने में असफल होता है, तो ऐसी स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्र के अन्य आपूर्तिकर्ता से मूल आपूर्तिकर्ता की रिस्क और कास्ट पर देशी मदिरा की पूर्ति कराई जा सकेगी.

3. **वर्तमान में देशी मदिरा प्रदायकर्ता को मदिरा प्रदाय के विरुद्ध निम्नानुसार तीन कीमत प्राप्त होती है.**

(i) कांच के शीशी की कीमत :— (बोतल 750 ML, 375 ML, 180 ML)

(ii) प्रदाय दर (Issue price) :— बोतल 750 ML, 375 ML, 180 ML. में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की कीमत यथा लेबल, होलोग्राम, कार्क, पैकिंग सामग्री एवं मजदूर व्यय.

(iii) Compensatory Issue price :— टेण्डर द्वारा निर्धारित मदिरा की कीमत जिसका भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाता है यह दर वर्तमान में रुपये 20.45 से 20.65 प्रतिप्रूफ लीटर के बीच निर्धारित है.

नई व्यवस्था में देशी मदिरा की सम्पूर्ण कीमत [कांच के बोतल की कीमत, प्रदाय दर (Issue price) Compensatory Issue price] का भुगतान फुटकर लायसेंसी द्वारा आसवकों को किया जावेगा.

उपरोक्त दर्शित तीनों (i+ii+iii) दरों के औसत के आधार पर न्यूनतम निविदादाता का चयन किया जावेगा. न्यूनतम निविदादाता, निविदा में दर्शित दरों पर मदिरा का प्रदाय करेगा. मदिरा की बोतल, अद्धा तथा पाव (750, 375 तथा 180 मिली लीटर धारिता की बोतल) की पेटियों का एक ही रेट रहेगा.

4. **विदेशी मदिरा की ड्यूटी राशि का निर्धारण :—** वर्तमान में विदेशी मदिरा की E.D.P. (एक्स डिस्टलरी प्राइज) पर ड्यूटी ली जाती है. जिसकी गणना निम्नानुसार है :—

विदेशी मदिरा स्प्रिट EDP प्रति पेटी—

| क्र. | ई.डी.पी. | ड्यूटी दर |
|---|---|---|
| (i) | रुपये 600 तक | रुपये 70/- प्रति प्रूफलीटर |
| (ii) | रुपये 601 से 900 तक | रुपये 90/- प्रति प्रूफलीटर |
| (iii) | रुपये 901 से अधिक | रुपये 110/- प्रति प्रूफलीटर |

आगामी वर्ष 2012-13 के विदेशी मदिरा की प्रति पेटी पर ड्यूटी दर ई.डी.पी. के स्थान पर लैंडिग प्राइज (कीमत) पर निम्नानुसार होगा :—

| क्र. | लैंडिग प्राइज | ड्यूटी दर |
|---|---|---|
| (i) | रुपये 600 तक | रुपये 70 प्रति प्रूफलीटर |
| (ii) | रुपये 601 से रु. 900 तक | रुपये 90 प्रति प्रूफलीटर |
| (iii) | रुपये 901 से अधिक | रुपये 110 प्रति प्रूफलीटर |

5. **ताड़ी दुकानों को बंद किया जाना :—** प्रदेश के मात्र 2 जिला क्रमश: जांजगीर-चांपा और जिला रायगढ़ में ताड़ी की 03 दुकानें हैं. ताड़ एवं खजूर के पेड़ से ताड़ी निकाला जाता है. चूंकि ताड़ी एवं खजूर के पेड़ समाप्तप्राय हो गये हैं. ताड़ी की अनुपलब्धता के कारण मिलावट किये जाने की संभावना होने से जनहानि की आशंका बनी रहती है. अत: 2 जिलों में संचालित 3 ताड़ी दुकान को आगामी वर्ष 2012-13 से बंद किया जाना है.

6. **पापीस्ट्रा ( डोडा चूरा ) के थोक ( पी. एस. 2 ) एवं चिल्हर ( पी.एस. 3 ) का व्यवस्थापन :—**

(i) वर्तमान में निम्नांकित जिलों में पी.एस. 2 एवं पी.एस. 3 नीलाम कर उसका व्यवस्थापन किया जाता है :—

| क्र. | नाम जिला | अनुज्ञप्ति की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | पी.एस. 2 | पी.एस. 3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | रायपुर | 1 | 5 |
| 2. | महासमुंद | 1 | 4 |
| 3. | धमतरी | 0 | 1 |
| 4. | दुर्ग | 1 | 6 |
| 5. | राजनांदगांव | 1 | 4 |
| 6. | बस्तर | 1 | 5 |
| 7. | बिलासपुर | 2 | 4 |
| 8 | कोरबा | 0 | 4 |
| 9. | रायगढ़ | 1 | 7 |
| 10. | जशपुर | 1 | 3 |
| 11. | सरगुजा | 1 | 2 |
| | **कुल योग** | 10 | 45 |

(कुल राजस्व 2.20 करोड़ रुपये)

(ii) पापीस्ट्रा के व्यसनियों (एडिक्ट) को उपभोग करने हेतु चिकित्सक द्वारा पी.एस. 7 परमिट जारी किया जाता है. व्यसनियों द्वारा उपभोग हेतु डोडा चूरा की मात्रा कई चरणों में कम किया जाता है ताकि धीरे-धीरे इस व्यसन से वे मुक्त हो सकें. जिसके अनुसार इसका उपभोग हर वर्ष कम होना चाहिए.

(iii) पी.एस. 2 एवं पी.एस. 3 को नीलाम पद्धति से व्यवस्थापन किया जाता है. नीलामी में प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक बोली लगाकर दुकान का अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जाता है. दुकान प्राप्त करने के लिये लगाई गई लागत की भरपाई के लिए अधिक दामों में डोडा चूरा की बिक्री व्यसनियों को की जाती है तथा बिना परमिट धारी (पी.एस. 7) को भी चोरी छिपे बिक्री करने की संभावना बनी रहती है.

(iv) जिस प्रकार मद्यपान के क्षेत्र में आंशिक नशाबंदी की गई है उसी प्रकार पापीस्ट्रा (डोडा चूरा) के उपभोग को सीमित करते हुए उसकी बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना है.

(v) छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती राज्य मध्यप्रदेश में व्यापक मात्रा में अफीम की खेती की जाती है. संभवत: किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश राज्य में पापीस्ट्रा छिलके के क्रय-विक्रय को लायसेंस प्रणाली में रखा गया है, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य में अफीम की खेती नहीं की जाती है केवल पापीस्ट्रा व्यसनी को चिकित्सा उद्देश्यों के लिए पापीस्ट्रा की आपूर्ति कराया जाता है. अत: वास्तविक व्यसनी को ही पापीस्ट्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लायसेंस प्रणाली अथवा नीलाम प्रणाली के स्थान पर शासकीय नियंत्रण में पापीस्ट्रा का विक्रय किया जाना है.

(vi) पापीस्ट्रा का भण्डारण, भांग की भांति मद्यभाण्डागारों में किया जावेगा जिसे शासन द्वारा अफीम उत्पादक राज्यों से अनुबंध के आधार पर क्रय किया जावेगा एवं निर्धारित विक्रय दर की अदायगी पश्चात् वैध व्यसनी को मद्यभाण्डागार अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराया जावेगा.

6. **भारत माता वाहिनी योजना को आगामी वर्ष 2012-13 में सुदृढ़ एवं विस्तारित किया जाना :—**

(i) वर्ष 2011-12 में 07 जिलों के 15 विकासखण्डों (प्रत्येक जिले से 2 विकासखंड व रायपुर से 3 विकासखंड) में प्रत्येक विकासखंड से 5 ग्राम इस प्रकार 75 ग्रामों में "भारत माता वाहिनी" का गठन किया गया है. आगामी वर्ष 2012-13 में उक्त 15 विकासखण्ड के 75 ग्राम में अतिरिक्त प्रत्येक विकासखण्ड में सम्मिलित ग्रामों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि किया जावेगा. उदाहरण के लिए वर्तमान में प्रत्येक जिला से 10 ग्रामों में 5 ग्राम उसी विकासखंड में बढ़ाकर 15 ग्राम किया जाएगा. इस प्रकार प्रत्येक ज़िला में 5 अतिरिक्त ग्राम सम्मिलित होंगे जिसकी संख्या लगभग 38 होगी. इस प्रकार वर्तमान में संचालित 15 विकासखण्ड में ग्रामों की कुल संख्या 113 होगी. साथ ही इन जिलों में एक-एक विकासखंड जोड़ते हुए प्रत्येक विकासखंड में पांच-पांच ग्राम सम्मिलित किया जावेगा.

(ii) उपरोक्त के साथ ही वर्ष 2012-13 में अतिरिक्त 6 जिलों के कुल 12 नवीन विकासखण्डों के पांच-पांच ग्राम सम्मिलित किये जायेंगे. इस प्रकार कुल 95 ग्रामों में भारत माता वाहिनी का गठन किया जावेगा. परिशिष्ट "तीन-ए एवं तीन-बी" दर्शित है.

(iii) इस प्रकार वर्ष 2012-13 में 13 जिलों के 34 विकासखण्ड के 208 ग्राम में भारत माता वाहिनी योजना लागू होगी.

(iv) भारत माता वाहिनी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2011-12 में आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था, इसी भांति वर्ष 2012-13 में भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जेवियर तिग्गा,** संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट-''एक''

**2001 की जनगणना अनुसार 2001 से 2500 तक जनसंख्या में स्थित दुकानें**

| क्र. (1) | नाम जिला (2) | दुकान किस्म (3) | नाम दुकान जो बंद की जायेगी (4) | रिमार्क (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | रायपुर | 1. देशी मदिरा दुकान | समोदा | |
| | | 2. देशी मदिरा दुकान | आमासिवनी | |
| | | 3. देशी मदिरा दुकान | गनौद | |
| 2. | बलौदाबाजार | 1. देशी मदिरा दुकान | पुरगांव | |
| | | 2. देशी मदिरा दुकान | असनीद | |
| | | 3. देशी मदिरा दुकान | बालपुर | |
| | | 4. देशी मदिरा दुकान | डमरू | |
| | | 5. देशी मदिरा दुकान | संडी | |
| | | 6. देशी मदिरा दुकान | हथबंद | |
| | | 7. विदेशी मदिरा दुकान | हथबंद | |
| 3. | गरियाबंद | 1. विदेशी मदिरा दुकान | धवलपुर | |
| 4. | बेमेतरा | 1. देशी मदिरा दुकान | कठिया | |
| | | 2. देशी मदिरा दुकान | सम्बलपुर | |
| | | 3. देशी मदिरा दुकान | परपोडी | |
| | | 4. विदेशी मदिरा दुकान | सम्बलपुर | |
| 5. | बालोद | 1. देशी मदिरा दुकान | माहुद बी | |
| | | 2. देशी मदिरा दुकान | पुरूर | |
| | | 3. देशी मदिरा दुकान | देवरी | |
| | | 4. देशी मदिरा दुकान | फरदफोड़ | |
| | | 5. देशी मदिरा दुकान | बेलोदी | |
| | | 6. विदेशी मदिरा दुकान | पुरूर | |
| 6. | राजनांदगांव | 1. देशी मदिरा दुकान | सोमनी | |
| | | 2. देशी मदिरा दुकान | बांधाबाजार | |
| | | 3. देशी मदिरा दुकान | खुज्जी | |
| | | 4. देशी मदिरा दुकान | मारगांव | |
| | | 5. देशी मदिरा दुकान | अतरिया | |
| | | 6. विदेशी मदिरा दुकान | तुमडीबोड़ | |
| | | 7. विदेशी मदिरा दुकान | रॉका | |
| | | 8. विदेशी मदिरा दुकान | चिचोला | |
| 7. | धमतरी | 1. देशी मदिरा दुकान | गंगरेल | |
| | | 2. देशी मदिरा दुकान | आंवरी | |
| | | 3. देशी मदिरा दुकान | अछोटा | |
| 8. | महासमुंद | 1. देशी मदिरा दुकान | खल्लारी | |
| | | 2. देशी मदिरा दुकान | सांकरा | |
| | | 3. विदेशी मदिरा दुकान | सांकरा | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 9. | कबीरधाम | 1. देशी मदिरा दुकान | दशरंगपुर | |
| | | 2. देशी मदिरा दुकान | मोहगांव | |
| | | 3. देशी मदिरा दुकान | खैरबना कला | |
| | | 4. देशी मदिरा दुकान | पौड़ी | |
| | | 5. विदेशी मदिरा दुकान | दशरंगपुर | |
| | | 6. विदेशी मदिरा दुकान | पौड़ी | |
| 10. | दंतेवाड़ा | 1. विदेशी मदिरा दुकान | हारम | |
| 11. | बिलासपुर | 1. देशी मदिरा दुकान | घुरू | |
| | | 2. देशी मदिरा दुकान | शांतिपुर | |
| | | 3. देशी मदिरा दुकान | बीजा | |
| | | 4. देशी गदिरा दुकान | चिल्हाटी | |
| | | 5. देशी मदिरा दुकान | बरतोरी | |
| | | 6. देशी मदिरा दुकान | टिकारी | |
| | | 7. विदेशी मदिरा दुकान | चिल्हाटी | |
| | | 8. विदेशी मदिरा दुकान | खोड़री | |
| 12. | जांजगीर-चांपा | 1. देशी मदिरा दुकान | कुटरा | |
| | | 2. देशी मदिरा दुकान | भुईगांव | |
| | | 3. देशी मदिरा दुकान | पीपरसत्ती | |
| | | 4. देशी मदिरा दुकान | रसेड़ा | |
| | | 5. देशी मदिरा दुकान | कचन्दा | |
| | | 6. देशी मदिरा दुकान | चिस्दा | |
| | | 7. देशी मदिरा दुकान | सकर्रा | |
| 13. | कोरबा | 1. देशी मदिरा दुकान | ढेलवाडीह | |
| | | 2. विदेशी मदिरा दुकान | ढेलवाडीह | |
| 14. | रायगढ़ | 1. देशी मदिरा दुकान | धनागर | |
| | | 2. देशी मदिरा दुकान | दानसरा | |
| | | 3. देशी मदिरा दुकान | भेड़वन | |
| | | 4. देशी मदिरा दुकान | छिन्द | |
| | | 5. देशी मदिरा दुकान | गोबरसिंघा | |
| | | 6. देशी मदिरा दुकान | बड़े लेन्ध्रा | |
| | | 7. देशी मदिरा दुकान | मदनपुर चौक | |
| | | 8. देशी मदिरा दुकान | राजपुर | |
| | | 9. विदेशी मदिरा दुकान | चपले | |
| 15. | सरगुजा | 1. विदेशी मदिरा दुकान | भैयाथान | |
| 16. | कोरिया | 2. विदेशी मदिरा दुकान | नागपुर | |

(दे.म.दुं. 53+वि.म.दु. 17 योग दुकान 70)

परिशिष्ट-"दो"

## वर्ष 2012-13 में गौरव ग्राम में स्थित बंद होने वाली दुकानों की जानकारी

| क्र. (1) | नाम जिला (2) | दुकान किस्म (3) | नाम दुकान (4) | राजस्व (5) | रिमार्क (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रायपुर | 1. देशी मदिरा दुकान | निपनिया | 3240000 | |
| | | 2. विदेशी मदिरा दुकान | निपनिया | 14870000 | |
| 2. | राजनांदगांव | 1. देशी मदिरा दुकान | घुमका | 11907000 | |
| | | | योग | 30017000 | |

परिशिष्ट-"3 ए"

**भारत माता वाहिनी**

| क्रमांक | जिला | वर्तमान विकासखण्ड | ग्राम की संख्या | प्रस्तावित विकासखण्ड | ग्राम की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | रायपुर | 1. आरंग | 5 | 1. तिल्दा | 5 |
| | | 2. धरसींवा | 5 | | |
| | | 3. अभनपुर | 5 | | |
| 2. | राजनांदगांव | 1. डोंगरगांव | 5 | 1. राजनांदगांव | 5 |
| | | 2. छुईखदान | 5 | | |
| 3. | महासमुंद | 1. सराईपाली | 5 | 1. महासमुंद | 5 |
| | | 2. बागबाहरा | 5 | | |
| 4. | कबीरधाम | 1. कवर्धा | 5 | 1. पंडरिया | 5 |
| | | 2. सहसपुर लोहारा | 5 | | |
| 5. | बिलासपुर | 1. बिल्हा | 5 | 1. तखतपुर | 5 |
| | | 2. मस्तुरी | 5 | | |
| 6. | जांजगीर-चांपा | 1. सक्ती | 5 | 1. नवागढ़ | 5 |
| | | 2. बलोद | 5 | | |
| 7. | रायगढ़ | 1. रायगढ़ | 5 | 1. बरमकेला | 5 |
| | | 2. पुसौर | 5 | | |
| | योग | 15 | 75 | | 35 |

परिशिष्ट–"3 बी"

## भारत माता वाहिनी

(ब) ऐसे नए जिले जहां योजना चालू की जाना है, की सूची :—

| क्रमांक (1) | जिला (2) | विकासखण्ड (3) | ग्राम की संख्या (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | बलौदा बाजार | 1. बलौदा बाजार | 5 |
| | | 2. सिमगा | 5 |
| 2. | धमतरी | 1. धमतरी | 5 |
| | | 2. कुरूद | 5 |
| 3. | दुर्ग | 1. दुर्ग | 5 |
| | | 2. पाटन | 5 |
| 4. | बेमेतरा | 1. बेमेतरा | 5 |
| | | 2. नवागढ़ | 5 |
| 5. | बालोद | 1. बालोद | 5 |
| | | 2. गुरूर | 5 |
| 6. | मुंगेली | 1. मुंगेली | 5 |
| | | 2. लोरमी | 5 |
| | **योग** | **12** | **60** |

सचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.